E D5-C

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांकः–एफ–4(5)( )राजस्व/22/ दिनांक 2022

–: आदेश :–

अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त बारां के प्रस्ताव दिनांक 28.07.2022 अनुसार हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण मे आ रही 44 हेक्टर वन भूमि के समतुल्य अन्य राजकीय सिवायचक भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत कर आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त 44 हेक्टर वन भूमि हथियादेह परियोजना हेतु सेट–अपार्ट राजस्व भूमि 286.50 हेक्टर में से नोनेरा बैराज के डूब में आयी भूमि है। उक्त का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर मे)
1	पाटूंदा	02	2.252
2		08	3.602
3		10	1.363
4		1025	0.805
5		1026	1.518
6		1109	0.500
7		1113	2.299
8		1114	0.382
	योग		12.721
1	तीखोद	54	3.10
2		55	5.23
3		56	3.928
4		57	2.271
5		86	4.15
6		96	5.05
7		98	4.13
8		99	3.42
	योग		31.279
	कुल योग		44.00

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक एफ–4(5)( )राजस्व/2020/3483–98 दिनाक 23.10.2020 से Eastern Rajasthan Canal Project (E.R.C.P.) के अन्तर्गत नोनेरा बैराज हेतु 119.409 हेक्टर राजकीय सिवायचक भूमि दी गई थी। अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम, कोटा ने अपने पत्र क्रमांक 1099 दिनांक 29.09.2022 से अवगत कराया की नोनेरा बैराज के डूब मे आयी बारां जिले की वन भूमि 75.409 हेक्टर है, जबकि 119.409 हेक्टर आवंटित की गई है, फलस्वरूप शेष 44 हेक्टर भूमि वन विभाग के पास सुरक्षित है, जिसको हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु समायोजित करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है। उक्त 119.409 हेक्टर वन भूमि का कब्जा/दखल वन विभाग को दिनांक 31.12.2020 तथा दिनांक 11.11.2020 को संभला दिया गया है। उक्त क्रम में वन विभाग, बारां के पत्र क्रमांक 19551 दिनांक 08.12.2021 से अवगत करवाया गया कि वन विभाग को 44 है० अति० भूमि आवंटित हो गई हैं।

अतः वन विभाग को नोनेरा बैराज हेतु पूर्व में दी गई 119.409 हेक्टर भूमि में से 44 हेक्टर भूमि का समायोजन हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील किशनगंज, जिला बारां में किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदत्त की जाती है।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,
बारां

क्रमांकः–एफ–4(5)( )राजस्व/22/ 11066-77 दिनांक 17.11.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर
2. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन, वृत्त कोटा।
3. उप वन संरक्षक, बारां।
4. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां।
6. उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज/शाहबाद/अंता।
7. तहसीलदार, किशनगंज/शाहबाद/अंता।
8. रक्षित पत्रावली।

अति० जिला कलक्टर,
बारां

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारॉं

(पी॰सी॰ मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन तृतीय, बारॉं

पता : मिनी सचिवालय ... dm-brn-rj@nic.in

Scanned with CamScanner